जारी/लोगल
9/09/2021

संख्याः 2510/XVII(4)/2021-5(34)/2020

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 9 सितम्बर, 2021

विषयः–मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के कियान्वयन हेतु जारी दिशानिर्देश/शासनादेश दिनांक 20.04.2021 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में अधिक सुधार हेतु मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शासनादेश संख्या–731/XVII(4)/2021-5(34)/2020 दिनांक 20.04.2021 एवं शासनादेश संख्या–742/XVII(4)/2021-5(34)/2020 दिनांक 30.04.2021 द्वारा संचालन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून के पत्र संख्या–1347/मु0म0ल0कि0–5497/2021–22 दिनांक 26.08.2021 द्वारा किये गये प्रस्तावानुसार उक्त शासनादेश संख्या–731 दिनांक 20.04.2021 के पृष्ठ संख्या–3 के प्रस्तर 3 (आवश्यक दिशा–निर्देश एवं शर्तें) के उप बिन्दु–1, 2 एवं 3 तथा प्रस्तर–4 (वांछित अभिलेख) के उप बिन्दु 5 (ग) में की गई व्यवस्था के निम्नवत् परिवर्तन/संशोधन एवं अतिरिक्त उप बिन्दु 5 (ड़) सम्मिलित किया जाता है:–

1. योजना प्रारम्भ के पश्चात् जन्म लेने वाली बालिकाओं को लाभ दिया जायेगा (यदि पूर्व से उस परिवार में बच्चियों हों तो भी योजना प्रारम्भ के पश्चात जन्म लेने वाली दो बालिकाओं की सीमा तक लाभ प्रदान किया जायेगा), जुड़वा बालिकाओं की दशा में दो किट प्रदान की जायेगी।

2. पात्र महिला उत्तराखण्ड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिये, इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की सत्यापित प्रति तथा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय नगरीय निकाय का उसके पार्षद/सभासद द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

3. ऐसी गर्भवती महिला या उसका पति अथवा दोनों, जो स्वयं सरकारी/अर्द्धसरकारी/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हे योजना का लाभ नही दिया जायगा किन्तु ऐसी महिलाये अथवा उनके पति उपनल/पी0आर0डी0/आउटसोर्सिंग/संविदा/आंगनबाड़ी

कार्यकत्री/आंगनबाड़ी सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आशा के रूप में कार्यरत हो, परन्तु आयकर की सीमा में न आते हों, उक्त योजना में आच्छादित होंगें।

5(ग) स्वयं के अथवा पति के सरकारी/अर्द्धसरकारी/सरकारी उपक्रम में कार्यरत नही होने का प्रमाण पत्र। किन्तु ऐसी महिलाये अथवा उनके पति उपनल/पी0आर0डी0/आउटसोर्सिग/संविदा/आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आंगनबाड़ी सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आशा के रूप में कार्यरत हो, परन्तु आयकर की सीमा में न आते हों, तो उन्हे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह अथवा उनके पति उपनल/पी0आर0डी0/आउटसोर्सिग/संविदा / आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आंगनबाड़ी सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आशा के रूप में कार्यरत हो, किन्तु आयकर दाता नही हैं।

5(ड़) आधार पंजीकरण नम्बर/कार्ड ।

3– उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शासनादेश दिनांक 20.04.2021 एवं 30.04.2021 में उल्लिखित अन्य शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अ0 सचिव

संख्या–2516 (1)/XVII/2021-5(34)/2020 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री को मा0 विभागीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अ0 सचिव